jktdh; LukrdksŸkj egkfo|ky; lkyu] ftyk lkyu] fgekpy izns'k dh fuf/k ys[kk dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 4@06 ls 3@12

Hkkx&,d

1 xr vads{k.k izfrosnu%&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई का सत्यापनोपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई। अनेकानेक अंकेक्षण आपतियॉ दीर्धकाल से निपटारे हेतु षेष चली आ रही है तथा इनके निपटारे हेतु समय–2 पर तैनात संस्थाध्यक्षों द्वारा कोई विषेष कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः अनिर्णीत अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु कोई विषेष प्रयास न किये जाने से सम्बन्धित मामला उच्चाधिकरियों के ध्यानार्थ विषेष रूप से लाया जाता है तथा संस्थाध्यक्ष से अनुरोध है कि दीर्धकाल से लम्बित चली आ रही अंकेक्षण आपत्तियों के पूर्ण निपटारे हेतु ठोस प्रयास किये जाएं।

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@76 ls 3@83

1	पैरा–3 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (6)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (8) (9)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (10)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (12)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (14)	अनिर्णीत
7	पैरा–6 (15)	अनिर्णीत
8	पैरा–6 (16)	अनिर्णीत
9	पैरा–6 (18)	अनिर्णीत
10	पैरा–6 (20)	अनिर्णीत
11	पैरा–6 (21)	अनिर्णीत
12	पैरा–6 (23)	अनिर्णीत

13	पैरा–6 (24)	अनिर्णीत
14	पैरा–6 (25)	अनिर्णीत
15	पैरा–6 (26)	अनिर्णीत
16	पैरा–6 (30)	अनिर्णीत
17	पैरा–6 (32)	अनिर्णीत
18	पैरा–6 (34)	अनिर्णीत
19	पैरा–6 (36)	अनिर्णीत
20	पैरा–6 (38)	अनिर्णीत
21	पैरा–6 (39)	अनिर्णीत
22	पैरा–6 (40)	अनिर्णीत
23	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
24	पैरा–7 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत
26	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
27	पैरा–9 (सी)	अनिर्णीत
28	पैरा–9 (डी)	अनिर्णीत
29	पैरा–9 (ई)	अनिर्णीत
30	पैरा–11 (बी)	अनिर्णीत
31	पैरा–12	अनिर्णीत
32	पैरा–13	अनिर्णीत
33	पैरा–14 (ए) (सी)	अनिर्णीत
34	पैरा–16 (ए)	अनिर्णीत
35	पैरा–16 (सी)	अनिर्णीत
36	पैरा–16 (डी)	अनिर्णीत

37	पैरा–16 (ई)	अनिर्णीत
38	पैरा–16 (जे)	अनिर्णीत
39	पैरा–16 (के)	अनिर्णीत
40	पैरा–18	अनिर्णीत
41	पैरा–20	अनिर्णीत
42	पैरा–21	अनिर्णीत

¼[k½ vdk{k.k ifrounu vof/k 4@83 ls 3@85

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–10	अनिर्णीत
6	पैरा–11	अनिर्णीत
7	पैरा–12	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (बी) से 14 (जी)	अनिर्णीत
10	पैरा–15 (ए) से (एफ)	अनिर्णीत
11	पैरा–16 (ए)	अनिर्णीत
12	पैरा–16 (बी)	अनिर्णीत
13	पैरा–17	अनिर्णीत
14	पैरा–18	अनिर्णीत

¼x½ vd{k.k ifronu vof/k 4@85 ls 3@88

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–4	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (बी) (डी)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (एच)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (जे) (1 से 5)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (के) (एल)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (एम)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (ओ)	अनिर्णीत
9	पैरा–5 (पी)	अनिर्णीत
10	पैरा–5 (क्यू)	अनिर्णीत
11	पैरा–5 (आर) (1 से 4)	अनिर्णीत
12	पैरा–5 (एस)	अनिर्णीत
13	पैरा–5 (यू)	अनिर्णीत
14	पैरा–5 (वी)	अनिर्णीत
15	पैरा–5 (डब्लयू)	अनिर्णीत
16	पैरा–5 (वाई)	अनिर्णीत
17	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
18	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
19	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा–7 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा–8 (ए)	अनिर्णीत
22	पैरा–8 (बी)	अनिर्णीत
23	पैरा–9 (ए) (1 से 2)	अनिर्णीत
24	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा–9 (सी)	अनिर्णीत

26	पैरा–9 (डी)	अनिर्णीत
27	पैरा–9 (एफ)	अनिर्णीत
28	पैरा–10 (बी)	अनिर्णीत
29	पैरा–10 (सी)	अनिर्णीत
30	पैरा–10 (डी)	अनिर्णीत
31	पैरा–10 (ई)	अनिर्णीत
32	पैरा–10 (एच) (मद सं0 2 व 3 के अतिरिक्त)	अनिर्णीत
33	पैरा–11 (ए)	अनिर्णीत
34	पैरा–11 (बी)	अनिर्णीत
35	पैरा–11 (सी)	अनिर्णीत
36	पैरा–11 (डी)	अनिर्णीत
37	पैरा–11 (ई)	अनिर्णीत
38	पैरा–11 (जी)	अनिर्णीत
39	पैरा–12 (2) (2)	अनिर्णीत
40	पैरा–12 (2) (3)	अनिर्णीत
41	पैरा–12 (2) (5)	अनिर्णीत
42	पैरा–12 (2) (7)	अनिर्णीत
43	पैरा–12 (2) (8)	अनिर्णीत
44	पैरा–12 (2) (9)	अनिर्णीत
45	पैरा–12 (10)	अनिर्णीत
46	पैरा–12 (बी) (2)	अनिर्णीत
47	पैरा–12 (बी) (3)	अनिर्णीत
48	पैरा–12 (सी) (11 व 12)	अनिर्णीत
49	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
50	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत
51	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत

52	पैरा–14 (ए) से 14 (एफ)	अनिर्णीत
53	पैरा–15 (ए) व (बी)	अनिर्णीत

¼?k½ vk{k.k ifronu vof/k 4@88 ls 3@91

1	पैरा–5 (घ)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (घ) (ई)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (छ)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (क) (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा–8 (ग) व (घ)	अनिर्णीत
8	पैरा–8 (ङ) (1 से 2)	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत
10	पैरा–9 (ट)	अनिर्णीत
11	पैरा–9 (ठ) (2)	अनिर्णीत
12	पैरा–9 (ङ)	अनिर्णीत
13	पैरा–10 (क) (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा–10 (छ)	अनिर्णीत
15	पैरा–10 (झ)	अनिर्णीत
16	पैरा–10 (ठ)	अनिर्णीत
17	पैरा–10 (ढ)	अनिर्णीत
18	पैरा–10 (ज)	अनिर्णीत
19	पैरा–10 (ध) (द)	अनिर्णीत
20	पैरा–11 (क) व (ग)	अनिर्णीत
21	पैरा–11 (ङ)	अनिर्णीत
22	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत

23	पैरा–12 (ख) से (ङ)	अनिर्णीत
24	पैरा–12 (च)	अनिर्णीत
25	पैरा–12 (छ)	अनिर्णीत
26	पैरा–12 (ज)	अनिर्णीत
27	पैरा–12 (झ)	अनिर्णीत
28	पैरा–12 (ट)	अनिर्णीत
29	पैरा–12 (ठ)	अनिर्णीत
30	पैरा–12 (ढ) (मद 3 के अतिरिक्त)	अनिर्णीत
31	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत
32	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत
33	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत
34	पैरा–15 (क) से (घ)	अनिर्णीत
35	पैरा–16 (क) से (ग)	अनिर्णीत
36	पैरा–16 (ङ) (च) (छ)	अनिर्णीत
37	पैरा–16 (ज) (1 से 3)	अनिर्णीत

¼3½ vd{k.k ifronu vof/k 4@91 ls 3@94

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–9	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–11	अनिर्णीत

9	पैरा—12	अनिर्णीत
10	पैरा—14	अनिर्णीत
11	पैरा—16	अनिर्णीत
12	पैरा—17	अनिर्णीत
13	पैरा—19	अनिर्णीत
14	पैरा—20	अनिर्णीत
15	पैरा—22	अनिर्णीत

¼p½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@94 ls 3@97

1	पैरा—4	अनिर्णीत	
2	पैरा—5	अनिर्णीत	
3	पैरा—6	अनिर्णीत	
4	पैरा—7	समाप्त	(₹1606 रसीद सं0 32652 दिनांक 18.12.09 के द्वारा जमा)
5	पैरा—8	अनिर्णीत	
6	पैरा—9	अनिर्णीत	
7	पैरा—10	अनिर्णीत	
8	पैरा—11	समाप्त	(प्रस्तुत अभिलेखानुसार)
9	पैरा—12	अनिर्णीत	
10	पैरा—13	अनिर्णीत	
11	पैरा—14	अनिर्णीत	
12	पैरा—15	अनिर्णीत	
13	पैरा—16	अनिर्णीत	
14	पैरा—17	अनिर्णीत	
15	पैरा—18	अनिर्णीत	
16	पैरा—19	अनिर्णीत	

17	पैरा–20	अनिर्णीत
18	पैरा–21	अनिर्णीत
19	पैरा–22	अनिर्णीत
20	पैरा–23	अनिर्णीत

¼N½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@97 ls 3@2004

1	पैरा–4	अनिर्णीत	
2	पैरा–5 (क)	समाप्त	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
3	पैरा–5 (ख से घ)	अनिर्णीत	
4	पैरा–5 (ङ)	समाप्त	
5	पैरा–6	अनिर्णीत	
6	पैरा–7	अनिर्णीत	
7	पैरा–8	अनिर्णीत	
8	पैरा–9	समाप्त	(₹94891/– रसीद संख्या 1184739 व 0965095 दिनांक 23.3.04 व 18.4.04 के द्वारा जमा)
9	पैरा–10	अनिर्णीत	
10	पैरा–11	अनिर्णीत	
11	पैरा–12	समाप्त	(₹17300/–रोकड़ वही में दिनांक 9.01.07 को जमा)
12	पैरा–13	अनिर्णीत	
13	पैरा–14	समाप्त	(₹12000/–दिनांक 9.01.07 को जमा कर लिए गए)
14	पैरा–16	समाप्त	
15	पैरा–17	अनिर्णीत	
16	पैरा–18	अनिर्णीत	

17	पैरा–19	अनिर्णीत	
18	पैरा–20	अनिर्णीत	
19	पैरा–21	समाप्त	(₹1288/–की वसूली दिनांक 26.02.09 व 21.04.05 की कर ली गई)
20	पैरा–23	समाप्त	(₹200/–की वसूली कर ली गई)
21	पैरा–24	समाप्त	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
22	पैरा–25	समाप्त	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
23	पैरा–26 (क तथा घ)	समाप्त	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
24	पैरा–26 (ख, ग)	अनिर्णीत	
25	पैरा–27 (क)	अनिर्णीत	
26	पैरा–27 (ख)	समाप्त	
27	पैरा–28	अनिर्णीत	
28	पैरा–29	अनिर्णीत	
29	पैरा–30	अनिर्णीत	
30	पैरा–31 (क, ख, ग)	अनिर्णीत	
31	पैरा–31 (घ, ङ)	समाप्त	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
32	पैरा–32	समाप्त	
33	पैरा–33	समाप्त	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
34	पैरा–34	अनिर्णीत	
35	पैरा–35	अनिर्णीत	
36	पैरा–36	अनिर्णीत	
37	पैरा–37	समाप्त	(वाउचर सत्यापित के आधार पर)
38	पैरा–39	अनिर्णीत	
39	पैरा–40	अनिर्णीत	
40	पैरा–41	समाप्त	(वाऊचर सत्यापनोपरान्त)

41	पैरा–42	समाप्त	
42	पैरा–43	समाप्त	
43	पैरा–45	अनिर्णीत	
44	पैरा–46	अनिर्णीत	
45	पैरा–47	समाप्त	
46	पैरा–48	अनिर्णीत	
47	पैरा–49	समाप्त	
48	पैरा–50	अनिर्णीत	
49	पैरा–51	समाप्त	(₹11891/– रोकड़ वही में जमा कर ली गई)
50	पैरा–59	अनिर्णीत	
51	पैरा–63	अनिर्णीत	
52	पैरा–64	अनिर्णीत	
53	पैरा–65	अनिर्णीत	
54	पैरा–66	समाप्त	
55	पैरा–67	अनिर्णीत	
56	पैरा–68	अनिर्णीत	
57	पैरा–69	अनिर्णीत	
58	पैरा–70	अनिर्णीत	
59	पैरा–72	समाप्त	
60	पैरा–73	अनिर्णीत	
61	पैरा–74	समाप्त	
62	पैरा–76	अनिर्णीत	
63	पैरा–77	अनिर्णीत	
64	पैरा–78	समाप्त	

65	पैरा–79	अनिर्णीत
66	पैरा–80	अनिर्णीत

¼t½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@2004 ls 3@2006

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (क) (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (क) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (क)	समाप्त
5	पैरा–5 (ख)	समाप्त
6	पैरा–5 (ग)	समाप्त
7	पैरा–5 (घ)	समाप्त
8	पैरा–6	समाप्त
9	पैरा–7	समाप्त (₹17547/–'की वसूली कर ली गई)
10	पैरा–8	अनिर्णीत
11	पैरा–9	अनिर्णीत
12	पैरा–10	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
14	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा–12	अनिर्णीत
16	पैरा–13	अनिर्णीत
17	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत
18	पैरा–15	अनिर्णीत
19	पैरा–16	समाप्त

20	पैरा–17	समाप्त
21	पैरा–18	अनिर्णीत
22	पैरा–19	समाप्त
23	पैरा–20	अनिर्णीत
24	पैरा–21	अनिर्णीत
25	पैरा–22	समाप्त
26	पैरा–23	अनिर्णीत
27	पैरा–24	समाप्त

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k&

महाविद्यालय के अवधि 4/06 से 3/12 के निधि लेखों का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्षाए गए है, श्री सुरेष चन्द गुप्ता, सहायक नियन्त्रक, श्री मनजीत सिंह व श्री ललित अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 13.6.12 से 24.7.12 के दौरान किया गया। विस्तृत जॉच हेतु मास का चयन निम्नानुसार किया गया।

o"kZ	vk; dk fy,	O;; dk fy,
4/06 से 3/07	7/06	12/06
4/07 से 3/08	8/07	12/07
4/08 से 3/09	6/08	12/09
4/09 से 3/10	6/09	11/09
4/10 से 3/11	6/10	12/10
4/11 से 3/12	6/11	12/11

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है तथा उपलब्ध करवाई गई किसी गलत सूचना होने अथवा किसी सूचना के उपलब्ध न करवाऐ जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष उतरदायी नहीं होगा।

3 vads{k.k 'kqYd%&

महाविद्यालय के अवधि 4/06 से 3/12 के लेखों का अंकेक्षण षुल्क ₹42000/–बनता है। अंकेक्षण षुल्क की राषि स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष, षिमला–9 के नाम रेखांकित ड्राफ्ट चैक के माध्यम से प्रेषित करने हेतु प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय सोलन से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 262 दिनांक 17.7.12 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 foÙkh; fLFkfr%&

¼d½ महाविद्यालय की अवधि 4/06 से 3/12 की छात्र निधि लेखाओं की वित्तीय स्थिति परिषिष्ट "क" में दी गई है, जिसका वर्षवार विस्तृत विवरण निधिवार परिषिष्ट "क–1" से "क–6" पर भी दिया गया व परिषिष्ट"क–7" पर पाए गए अन्तर से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण को दर्षाया गया है।

¼[k½ परिषिष्ट "क–7" में दर्षाए गए बैंक समाधान विवरणानुसार मिश्रित निधि से चैक संख्या 033187 दिनांक 19.11.10 ₹605/–,होस्टल इलैक्ट्रीसिटी निधि से चैक संख्या 726492 दिनांक 24.9.11 ₹14370/–,होस्टल सिक्योरिटी फण्ड में चैक संख्या 726472 दिनांक 20.7.11 ₹1500/–तथा चेक संख्या 223732 दिनांक 30.8.11 ₹1500/– अर्थात कुल राषि ₹17975/–के चैक जारी किये गए जो कि दिनांक 31.3.2012 को कालातीत हो गए थे परन्तु महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित बैक से इनके भुगतान से सम्बन्धित आवष्यक प्रमाण पत्र प्राप्त न करके रोकड़ वही में इन्हें पुनः लेखांकित नहीं किया गया। अतः ₹17975 /–के कालातीत चैकों के समाधान हेतु आवष्यक उचित कार्रवाई नियमानुसार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इन चैकों का लेखाकरण रोकड़ वही में किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

¼x½ विभिन्न छात्र निधियों की रोकड़ वहियो की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही के प्रारम्भिक/अन्त षेष में सावधि की राषि सम्मिलित नहीं की गई पाई गई तथा सावधि ब्याज की प्राप्ति होने पर भी इस राषि

को रोकड़ वही में न दर्षा कर सीधे सावधि निवेष में जोड़ दिया गया जबकि महाविद्यालय द्वारा सावधि निवेष की राषि को अन्तषेष व प्रारम्भिक षेष में सम्मिलित करके तथा सावधि राषि पर प्राप्त ब्याज को रोकड़ वही में दर्षाया जाना अपेक्षित था जिससे छात्र निधि लेखों की स्थिति स्वतः ही स्पष्ट होती। अतः उक्त पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सावधि निवेष की राषि को प्रारम्भिक तथा अन्तषेष में जोड़ कर तथा सावधि राषि पर प्राप्त ब्याज को भी रोकड़ वही में दर्षाया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

5 lkof/k fuos’k&

महाविद्यालय द्वारा छात्र निधियो से समय–2 पर सावधि लेखों में राषियॉ निवेष की जा रही थी। महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार प्रत्येक वर्ष के अन्त में निम्न विवरणानुसार राषियॉ निवेषित पाई गई जिनका विस्तृत विवरण परिषिष्ट "ख–1 से ख–6" में भी दिया गया है।

fnukad	Lkkof/k fuos’k esa fuosf’kr jkf’k
31.3.07	11385057
31.3.08	12322735
31.3.09	9857459
31.3.10	10869787
31.3.11	12552085
31.3.12	15927085

सावधि जमा योजना में निवेषित राषियों के अंकेक्षण में निम्नलिखित अनयमितताएं पाई गईः–

¼i½ lkof/k fuos'k ij C;kt dks :i esa iklr@vftZr ₹5083628@&dks jksdM+ ogh esa ys[kkfdr u fd;k tkuk%&

महाविद्यालय द्वारा सावधि निवेष पर अर्जित ब्याज की जॉच करने पर पाया गया कि अवधि 4/06 से 3/12 में ₹5083628/—ब्याज के रूप में प्राप्त हुई परन्तु इस राषि को प्राप्त होनें पर रोकड़ वही में लेखाबद्ध नहीं किया गया अपितू प्राप्त ब्याज को सीधे सावधि निवेष में पुनः निवेष के रूप में दर्षा दिया गया। महाविद्यालय द्वारा केवल ₹579673/—की ब्याज प्राप्ति को ही सावधि निवेष को भुनाने पर प्राप्ति के रूप में लिया गया दर्षाया गया। अतः सावधि निवेष पर अर्जित ब्याज/प्राप्त ब्याज को रोकड़ वही में लेखाबद्ध न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यद्यपि महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त हुए सावधि निवेष पर ब्याज की प्राप्ति को तैयार की वित्तीय स्थिति में जोड़ लिया गया है फिर भी भविष्य में प्राप्त हुए ब्याज को रोकड़ वही में लेखाबद्ध किया जाना तथा रोकड़ वही के प्रारम्भिक षेष मे समस्त निवेषित राषि को भी सम्मिलित करके रोकड़ वही में बकाया राषि के विवरण में इन्हें दर्षाया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

¼ii½ lkof/k fuos'k jftLVj fu;ekuqlkj mfpr izdkj ls rS;kj u fd;k tkuk%&

सावधि निवेष रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि इसे नियमानुसार स्वतः स्पष्ट रूप से तैयार नहीं किया गया जिस कारण निवेषित राषि की स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती। सावधि निवेष की राषियों को बार–2 अनावष्यक रूप से लिखा जा रहा था तथा लागू ब्याज की दर को अंकित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त परिपक्वता तिथि से पूर्व सावधि निवेष को भुनाने पर प्राप्त हुई ब्याज व संषोधित निवेष की तिथि को वर्णित नहीं किया गया। अतः उक्त पाई गई त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सावधि निवेष रजिस्टर का रख–रखाव स्वतः स्पष्ट रूप से किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

6 vfxze%&

महाविद्यालय द्वारा छात्र निधि लेखों से अग्रिम राषि का भुगतान किया जा रहा था। अग्रिम रजिस्टर की जॉच व उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार ₹44600/—दिनांक 31.3.12 को वसूली/समायोजन हेतु षेष

पाई गई। यद्यपि उक्त राषि में से ₹16600/—का समायोजन दिनांक 5.7.2012 तक कर लिया गया है फिर भी षेष ₹28000/—का समायोजन किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए। दिनांक 31.3.12 तक पाई गई षेष राषियों का विवरण परिषिष्ट "ग" पर दिया गया है।

7 LikV:l fuf/k 'kYd dh :i e ₹1585320@&izkIr u djuk&

महाविद्यालय की स्पोर्टस षुल्क निधि की प्राप्तियों की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2010—11 व 2011—12 में छात्रों से ₹20/—प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से राषि प्राप्त की गई जबकि प्रधान सचिव (षिक्षा) हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या ई0डी0एन0 ए—ख(8)1/2001 दिनांक 1.06.2010 द्वारा जारी दरों को ध्यान में रखते हुए स्पोर्टस निधि षुल्की की प्राप्ति ₹20/—प्रति मास की दर से तथा वार्षिक षुल्क के रूप में ₹240/—की दर से प्रत्येक छात्र से वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2010—11 तथा 2011—12 में उक्त षुल्क की ₹220/—प्रति छात्र कम प्राप्त की गई जिसके परिणाम वर्ष 2010—11 व 2011—12 में स्पोर्टस निधि की ₹1585320/—की कम वसूली की गई जिसका विवरण निम्न वर्णित है।

o"kZ	Nk=k dh l0	izfrNk= de izkIr jkf'k ₹ esa	egkfo|ky; }kjk dy izkIr jkf'k ₹ esa
2010—11	3546	220	780120
2011—12	3660	220	805200
		;ksx	₹1585320

अतः ₹1585320/—की कम प्राप्ति बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवष्यक वसूली उचित स्त्रोत से करके यह राषि स्पोर्टस निधि मे जमा करवाई जाए तथा भविष्य में स्पोर्टस निधि षुल्क की राषि नियमानुसार उचित दर से प्राप्त की जानी भी सुनिष्चित की जाए।

8 dEI;Vj izfDVdy fuf/k 'kYd dh :Ik esa ₹291420@&Nk=ksa ls izkIr u djuk&

कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि लेखा की जॉच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा केवल बी0ए0–III (गणित विषय सहित) बी काम –III व बी0ए0सी0–III नॉन मेडिकल के छात्रो से ₹15/–प्रतिमाह की दर से कम्पयूटर प्रैक्टिकल षुल्क की राषि प्राप्त की गई थी जबकि प्रधान सचिव (षिक्षा) हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्या ई0डी0एन0–ए–ख(8) 1/2001, दिनांक 1.6.2010 के अनुसार कम्पयूटर निधि षुल्क की राषि बी0ए0 (गणित विषय सहित),बी काम व बी0एस0सी0 नॉन मेडिकल के समस्त छात्र–छात्राओं से वसूल किया जानी अपेक्षित थी। अतः महाविद्यालय द्वारा सरकारी अनुदेषों की अवहेलना करके अपनी ही व्याख्या करके यह षुल्क केवल अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत बी0काम0, बी0एस0सी0 नॉन मेडिकल व बी0ए0 (गणित विषय सहित) छात्रो से ही प्राप्त किया गया। अतः प्रैक्टिकल की राषि प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों से प्राप्त न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व निम्नविवरणानुसार प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से कम प्राप्त की गई ₹291420/–की वसूली उचित स्त्रोत से करके उक्त निधि मे ंजमा करवाई जाए तथा भविष्य में उक्त षुल्क की प्राप्ति समस्त विद्यार्थियों से की जानी भी सुनिष्चित की जाए।

Ø0 l0	d{kk dk uke	o"k	Nk=k dh l0	'kYd nj ifrekl ¼₹½	o"k e de ikIr jkf'k
1	बी0ए0–I (गणित)	2010–11	21	15	3780
2	बी0ए0–II (गणित)	2010–11	13	15	2340
3	बी0कॉम–I	2010–11	493	15	88740
4	बी0कॉम–II	2010–11	175	15	31500
5	बी0ए0–II (गणित)	2011–12	15	15	2700
6	बी0ए0–II (गणित)	2011–12	11	15	1980
7	बी0कॉम–I	2011–12	484	15	87120
8	बी0कॉम–II	2011–12	407	15	73260
				;kx	₹291420

9 [kydn fuf/k&

₹1585320@& Nk=k ls de olyu ckj&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रों से खेलकूद निधि की वसूली प्रधान सचिव (षिक्षा) हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या ई0डी0एन0–ए–ख(8) 1/2001 दिनांक 1.6.2010 द्वारा जारी निर्देषों की अनदेखी करते हुए निम्न विवरणानुसार निर्धारित दर से कम दर पर वसूली की गई परिणामस्वरूप

₹1585320 ⁄–की वसूली छात्रो से कम एकत्रित की गई। अतः उक्त निधि की कम वसूली बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए तथा भविष्य में षुल्क की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दरों से ही एकत्रित की जानी सुनिष्चित की जाए।

Ø0 l0	o"k	fu/kkfjr nj ifrekl ¼₹½	0kkf"kd olyh tk curh Fkh ¼₹½	olyh xbZ jkf'k ₹	De olyh ifr Nk=	Nk=k dh l0	Dqy de olyh ¼₹½
1	2010–11	20	240	20	220	3546	780120
2	2011–12	20	240	20	220	3660	805200
						;kx	₹1585320

10 oSt fuf/k 'kqYd dk :i esa ₹29870@&vuqfpr@vukf/kd`r izdkj ls Nk=ksa ls izkIr djuk%&

महाविद्यालय द्वारा छात्र निधियो की प्राप्त राषियों की जॉच करने पर पाया गया कि वर्ष 2008–09 में छात्रों से वैज निधि षुल्क के रूप में ₹10 ⁄–प्रतिछात्र की दर से प्राप्त की गई। जॉच करने पर पाया गया कि इस प्रकार की निधि की वसूली हेतु कोई भी निर्देष हिमाचल प्रदेष सरकार से प्राप्त नहीं हुए थे तथा न ही इससे सम्बन्धित कोई आदेष अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार महाविद्यालय द्वारा अपने स्त्तर पर ही अनाधिकृत रूप से वैज निधि का संचालन करना अनियमित है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि उकत निधि की वसूली का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनाधिकृत रूप से संचालित निधि लेखा को तुरन्त बन्द करके समस्त राषि को मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए व उक्त पाई गई त्रुटि का नियमतिकरण

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके करवाया जाए। यह मामला आवष्यक उचित कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियो के ध्यानार्थ भी विषेष रूप मे लाया जाता है।

11 dEi;Vj fuf/k d: :Ik e: vof/k 4@06 l: 3@10 d: nkjku ₹458000@&dh vukf/kd`r olyh djuk&

महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2006–07 से वर्ष 2009–10 के दौरान छात्रों से कम्पयूटर निधि षुल्क की अनाधिकृत वसूली की गई है। इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा जारी किए आदेष की कोई भी प्रति अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09, व 2009–10 में कम्पयूटर निधि की क्रमषः ₹122720/–, ₹105600, ₹103800 व ₹125880/–अर्थात कुल ₹458000/–की अनाधिकृत प्रकार से वसूली की गई तथा दिनांक 31.3.2010 तक उक्त निधि में ब्याज सहित ₹450371/–जमा थी। अतः अनाधिकृत रूप से एकत्रित राषि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त पाई गई अनियमितता का नियमितिकरण सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके किया जाए।

12 Nk=k: l: fofHkUu fuf/k;k: dk fu/kkZfjr nj l: vf/kd nj olyh djd: ₹228594@&dh vukf/kd`r :Ik l: olyh dju: ckj:&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रो से निम्न वर्णित निधियों की वसूली हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा जारी निर्देषों की अनदेखी करते हुए निर्धारित दरो से अधिक की प्राप्ति की गई परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹228594/–की वसूली छात्रों से अनियमित प्रकार से की गई। अतः ₹228594/–की अनाधिकृत वसूली बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त अनियमितता का नियमितिकरण करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराते हुए सरकारी दरों से ही राषियों की प्राप्ति की जानी सुनिष्चित की जाए।

o"k	fuf/k dk uke	fu/kkZfjr olyh	vf/kd	Nk=k dh	o"k e:

		nj	xbZ nj	olwyh ¼₹½	dqy l0 ¼₹½	dqy vf/kd olwyh
2006–07	स्टूडेन्ट एंड फण्ड	2	3	1	2715	2715
2006–07	पहचान पत्र निधि	5	15	10	2715	27150
2007–08	स्टूडेन्ट एंड निधि	2	3	1	3169	3169
2007–08	पहचान पत्र निधि	5	15	10	3169	31690
2008–09	स्टूडेन्ट एंड निधि	2	3	1	3250	3250
2008–09	पहचान पत्र निधि	5	15	10	3250	32500
2009–10	स्टूडेन्ट एंड निधि	2	3	1	3275	3275
2009–10	पहचान पत्र निधि	5	20	15	3275	49125
2010–11	स्टूडेन्ट एंड निधि	2	2	0	3546	2
2010–11	पहचान पत्र निधि	10	20	10	3546	35460
2011–12	स्टूडेन्ट एंड निधि	2	3	1	3660	3660
2011–12	पहचान पत्र निधि	10	20	10	3660	36600
						₹228594

13 jSM Øk l fuf/k dh :i esa ₹103830@&dh vukf/kd`r@vuqfpr izdkj ls izkIr djus ckjs&

महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2006–07 से वर्ष 2011–12 के दौरान छात्रों से रैड कास निधि की प्राप्ति अनाधिकृत/अनुचित प्रकार से की गई है। इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा जारी आदेषों की कोई भी प्रति अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 व 2011–12 में रैडक्रास निधि की क्रमषः ₹16398/–, ₹14436 ₹15474, ₹16320, ₹20130 व ₹21072/–अर्थात कुल ₹103830/–की अनाधिकृत/अनुचित प्रकार से प्राप्ति की गई तथा दिनांक 31.3.2012 तक उक्त निधि में ब्याज सहित ₹326016.37 जमा थी। अतः अनाधिकृत रूप से एकत्रित की गई राषि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त पाई गई अनियमितता का नियमितिकरण सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके किया जाए।

14 fgekpy izns'k fo'ofo|ky;] f'keyk&5 dks Hksth xbZ ₹912486@&dh jlhns vfHkys[k esa u ikbZ tkuk&

महाविद्यालय के लेखों की जॉच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विष्वविद्यालय को समय–2 पर राषियॉ भेजी गई पाई गई परन्तु सम्बन्धित रसीदें विष्वविद्यालय से प्राप्त नहीं की जा रही थी। अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में निम्न विवरणानुसार ₹912486/–विष्वविद्यालय को भेजी गई दर्षाई गई जिसके समर्थन में यह भी नहीं पाया गया कि यह राषि किस पत्र व ड्राफ्ट इत्यादि द्वारा भेजी गई है तथा इस सन्दर्भ में कोई भी रसीद अभिलेख में नहीं पाई गई। इस प्रकार महाविद्यालय द्वारा लाखों रूपयों की राषियां बिना रसीदों को प्राप्त किये ही प्रेषित कर देना अपने–आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व विष्वविद्यालय से आवष्यक रसीदें/प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपेक्षित पुष्टि इस विभाग से करवाई जाए।

Øe la0@fnukad	Hkqxrku fooj.k	Hkqxrku jkf'k
5/09 11.11.09	रजिस्ट्रेषन फीस (2009–10)	1958
7/07 15.12.07	एग्जामीनेषन फीस (2007–2008)	194590
5/2010 10.12.10	रजिस्ट्रेषन फीस	9746
6/2010 20.12.2010	वार्षिक कन्टन्युएस फीस	53792
7/2010 20.12.20	परीक्षा फीस	261600
8 से 11/2011	परीक्षा फीस	389540

12/2011	प्रैक्टीकल फीस	1260
	;ksx	₹912486

15 fo’ofo|ky; pkftZl ls lEcfU/kr ys[kksa esa vuqd o"kksZ ls jkf’k;ka ladfyr gksdj fnukad 31-3-2012 dks ₹8]64]441-99@&dh jkf’k fuiVkjs gsrq ’ks"k iMh tkuk&

महाविद्यालय के विश्वविद्यालय चार्जिज से सम्बन्धित लेखों/रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2012 को ₹864441.99/–षेष थी। यह राषि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विष्वविद्यालय चार्जिज के रूप में अनेक वर्षों से संकलित हुई पाई गई। जॉच करने पर यह पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा प्रवेष के आधार पर प्रत्येक छात्र से विष्वविद्यालय चार्जिज की प्राप्ति समय–2 पर निर्धारित दरो से की गई थी परन्तु विष्वविद्यालय को केवल उतनी ही राषि भेजी गई जितने छात्रों के फार्म अन्तिम रूप में भेजे गए अर्थात जिन छात्रों के फार्म किन्ही कारणवष विष्वविद्यालय को नहीं भेजे गए उनसे एकत्रित राषियों का संकलन महाविद्यालय में ही होता रहा तथा दिनांक 31.3.2012 तक इस प्रकार की ₹864441.99/–महाविद्यालय में षेष पड़ी हुई है जिसे महाविद्यालय को अन्य कार्य मदों पर व्यय करने हेतु प्राधिकृत भी नहीं किया गया है। अतः ₹864441.99/–के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी से आवष्यक निर्देष प्राप्त करके तथा षेष पड़ी राषि का प्रयोग तदानुसार ही किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार की षेष बची राषि के प्रयोग हेतु भी आवष्यक स्पष्ट निर्देष प्राप्त किये जाऐ।

16 Nk=kokl izfrHkwfr fuf/k&

Nk=kokl izfrHkwfr jftLVj mfpr izdkj ls rS;kj u djuk

छात्रावास प्रतिभूति रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि इसे उचित प्रकार से तैयार नहीं किया गया। उक्त रजिस्टर में प्रतयेक छात्र की प्रतिभूति प्रविष्टियॉ प्रत्येक वर्ष में बार–2 की जा रही थी परन्तु पूर्व की मूल प्रविष्टी को सन्दर्भित भी नहीं किया गया था जिससे छात्रो की प्रतिभूति राषियों की स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती तथ भुगतान के समय भी पुष्टि सही प्रकार से नहीं हो सकी। नियमानुसार प्रतिभूति रजिस्टर में प्रत्येक छात्र से प्राप्ति प्रविष्टि एक ही स्थान पर करके भुगतान/जब्त की गई प्रतिभूति को भी उसी स्थान पर दर्ज किया जाना अपेक्षित था जिससे प्रत्येक प्रतिभूति की स्थिति स्वतः स्पष्ट होती। अतः प्रतिभूति रजिस्टर उचित प्रकार से तैयार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व प्रतिभूति रजिस्टर सही प्रकार से तैयार किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए।

17 ₹6]88]066@& dk eqnz.k dk;Z jktdh; eqnz.kky; f'keyk ls u djokdj lh/ks [kqys cktkj ls djok;k tkuk&

छात्र निधि लेखों की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा पहचान पत्र, पत्रिका व अन्य मुद्रण कार्य हिमाचल प्रदेष राजकीय मुद्रणालय षिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाया जा रहा था तथा खुले बाजार से मुद्रण कार्य करवाए जाने से पूर्व कोई भी अनापति प्रमाण पत्र राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त नहीं किया गया। अंकेक्षणाधीन अवधि से इस प्रकार के करवाए गए कार्य/भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है। अतः मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से ही करवाया जाना भी सुनिष्चित किया जाए। उपरोक्त प्रकरण आवष्यक उचित कार्रवाई हेतु उच्चधिकारियों के ध्यानार्थ भी विषेष रूप से लाया जाता है।

Ø0 la0	fuf/k dk uke	QeZ dk uke o fcy la0	Ø; fd;s lkeku dk fooj.k	ewY;
1	पत्रिका निधि	दि लिजेड प्रिटर्स एण्ड एडवरटाईज, दि माल सोलन, बिल सं0 006 दिनांक 29.6.2006	2000 छात्र पत्रिकाएं	44900
2	–यथोपरि–	–यथोपरि– बिल संख्या 340, दिनांक 15.6.2007	2132 छात्र पत्रिकाएं	48716
3	–यथोपरि–	–यथोपरि– बिल संख्या 655, दिनांक 23.8.2008	2460 छात्र पत्रिकाएं	63714
4	–यथोपरि–	–यथोपरि– बिल संख्या 116, दिनांक 10.7.2009	1500 छात्र पत्रिकाएं	43425
5	–यथोपरि–	मै0 सूर्या प्रिटर्स, लोअर बाजार सोलन, बिल सं0 1571, दिनांक 31.3.2010	2500 छात्र पत्रिकाएं	69680
6	–यथोपरि–	मै0 दि लिजेड प्रिटर्स एण्ड एडवरटाईजर्स, दि माल सोलन, बिल	2500 छात्र पत्रिकाएं	60000

		सं0 568 दिनांक 3.6.2006		
7	पहचान पत्र निधि	मै0 महावीर पेपर प्रोडक्ट, सर्कुलर रोड़, सोलन बिल नं0 081, दिनांक 3.6.06	3000 छात्र पहचान पत्र	37500
8	–यथोपरि–	–यथोपरि– बिल संख्या 825, दिनांक 11.6.2007	2996 छात्र पहचान पत्र	39697
9	–यथोपरि–	–यथोपरि– बिल संख्या 1371, दिनांक 18.6.2008	3070 छात्र पहचान पत्र	41445
10	–यथोपरि–	–यथोपरि– बिल संख्या 083, दिनांक 10.6.09	3000 छात्र पहचान पत्र	42900
11	–यथोपरि–	मै0 सूर्या प्रिटर्स, लोअर बाजार सोलन, बिल सं0 1590, दिनांक 25.6.10	3000 छात्र पहचान पत्र	37800
12	–यथोपरि–	–यथोपरि– बिल संख्या 027, दिनांक 24.6.11	3500 छात्र पहचान पत्र	34729
13	गृह परीक्षा निधि	मै0 दि लिजेड प्रिटर्स एण्ड एडवरटाईजर्स, दि माल सोलन, बिल सं0 509, दिनांक 3.12.07	22000 उत्तर पुस्तिकाएं इत्यादि	35530
14	–यथोपरि–	मै0 सहगल प्रिंटर्स एण्ड पैकर्स, राजगढ़ रोड़ सोलन, बिल सं0 1443, दिनांक 9.11.10	19750 उत्तर पुस्तिकाएं इत्यादि	70310
15	–यथोपरि–	–यथोपरि– बिल संख्या 1700, दिनांक 21.11.11	15000 उत्तर पुस्तिकाएं आदि	53250
			;kx	₹688066

18 fefJr fuf/k&

¼d½ fefJr fuf/k ls ₹344931@&dk 0;; vfu;fer@vuqfpr iadkj ls djukA&

महाविद्यालय द्वारा मिश्रित निधि से किये गए व्यय कि जॉच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार किया गया व्यय मिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं था।

Ø0 l0	0kk0 l0 fnukd	foØrk dk uke o fcy l0	0;; fooj.k	0;; jkf'k
1	168/06 20.12.06	मै0 वैभव कलेक्षन सोलन बिल सं0 1969 दिनांक 20.12.06	53 मी0 परदों का कपड़ा व सिलाई (प्राचार्य के कार्यालय में प्रयोग हेतु)	4640
2	170/2006 21.12.06	मै0 आर0के0 ट्रेडर्ज सोलन बि 3855 दिनांक 25.11.06	कालेज के कमरे हेतु सफेदी व रंग रोगन के सामान का क्रय	2804
3	171/2006 22.12.06	मै0 हिमाचल फर्नीचर बिल नं0 3290 दिनांक 11.12.06	2 नं0 अलमारी 20 नं0 आफिस चेयर (प्राचार्य के कार्यालय में प्रयोग हेतु)	28496
4	175/2006 28.12.06	मै0 षर्मा एन्टर प्राईजिज बिल नं0 षून्य दिनांक 18.11.06	स्टॉफ रूम षीक व चैम्बर रिपेयर तथा पाईप फिटिंग	1600
5	176/2006 28.12.06	मै0 ब्रदर्स ट्रेडज्र बिल नं0 षून्य दिनांक 12.12.06	ब्रीकस वाल प्लास्टर	990
6	177/2006 28.12.06	मै0 विषाल कौषल राजगढ़ बिल नं0 षून्य दिनांक 16.12.06	गेट व गेट फिक्सिंग	960
7	92/09	मै0 षिवा कोहली सोलन बिल नं0 1672 व 1679 दिनांक 16.11.09	बिजली का सामान फिजिक्स लैब	3309
8	91/09	मै0 षिवम कोहली सोलन बिल नं0 1678 दिनांक षून्य	इलेक्ट्रीकल 2 कि0मी0 रेज	5217
9	93/09 व 94/09	मै0 राज टैन्ट सर्विस सोलन बिल नं0 2574 दिनांक 16.10.09	यूथ फैस्टिवल के आयोजन हेतु टैन्ट कुर्सी व विविध प्रकार के सामान का किराया (आंषिक बिल)	28865
10	84/09	मै0 एषियन साईटिफिक इन्डस्ट्रीज दिल्ली बिल नं0 989 दिनांक 24.10.09	(1) लैगुएज लैब विद चेयर मैन युनिट टीचर कसोल व 30 स्टूडैन्ट यूनिटस विद एम्पलीफायर माईक स्पीकर्स विद हेडफोन कम्पलीट (2) सोनी एल0सी0डी0 प्रोजेक्ट	262688
11	158/11	मै0 बतरा ट्रेडर्ज बिल नं0 157	12 रीम ए–4 पेपर	1764

		दिनांक 29.10.11		
12	174 / 11	–यथोपरि– बिल नं0 165 दिनांक 12.12.11	2 नं0 चाक पेटी	2160
13	173 / 11	–यथोपरि– बिल नं0 164 दिनांक 10.12.11	कार्यालय स्टेषनरी	1438
			;kx	₹344931

अतः मिश्रित निधि में ₹344931 का व्यय अनियमित / अनुचित प्रकार से किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹344931 / – की वसूली उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि में राषि जमा करवाई जाए।

¼[k½ egkfo|ky; }kjk fefJr fuf/k ls fctyh] ikuh] nwjHkk"k fcyksa dk vfu;fer izdkj ls Hkqxrku djuk rFkk fnukad 31-3-12 dks ₹383105@&olwyh gsrq 'ks"k ik;k tkuk½&

मिश्रित निधि से समय–2 पर किये गये भुगतानों की जॉच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय के बिजली, पानी व दूरभाष इत्यादि के बिलों का भुगतान अनियमित प्रकार से मिश्रित निधि से किया जा रहा था। चर्चा में बताया गया कि सरकारी बजट में राषि उपलब्ध न होने पर यह भुगतान मिश्रित निधि में किये गए है तथा सरकार से राषि प्राप्त होने पर इस प्रकार की व्यय की गई राषि मिश्रित निधि में जमा करवा दी जाती है। अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2008 में इस प्रकार के प्रकरणों में 31.3.12 तक ₹383105 / –षेष थी जिसका विवरण परिषिष्ट "घ" पर दिया गया है। अतः छात्र निधियों से किये जा रहे अनियमित / अनुचित भुगतानों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹383105 / –की वसूली करके यह राषि छात्र निधि में जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में आवष्यक बजट प्रावधान करके छात्र निधि से किये जा रहे अनुचित / अनियमित भुगतानों से परिहार किया जाए। यह मामला आवष्यक उचित कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विषेष रूप से लाया जाता है।

¼x½ cl fdjk;s@VSDlh pkftZt ds :i esa ₹36994@&dk vf/kd@vuqfpr Hkqxrku½&

मिश्रित निधि से किए गए व्यय की जॉच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र–छात्राओं द्वारा की जाने वाली यात्रायें हिमाचल प्रदेष पथ परिवहन की बसों द्वारा न करके प्राईवेट बसों / टैक्सी द्वारा की जा रही थी। हिमाचल प्रदेष सरकार से जारी दिषा निर्देषों के अनुसार छात्र–छात्राओं द्वारा हिमाचल प्रदेष पथ परिवहन निगम की बसों द्वारा यात्रा करने पर 50 प्रतिषत की छूट बस किराये के रूप में प्रदान की जाती है परन्तु महाविद्यालय द्वारा उक्त सुविधा का लाभ प्राप्त न

करके बस किराये/टैक्सी चार्जिज के रूप में ₹36994/–का भुगतान निधि लेखा से अधिक/अनुचित प्रकार से किया गया है। अंकेक्षण में यह बताया गया कि प्राईवेट बस/टैक्सी द्वारा की गई यात्रायें सचिव (एच0पी0यू0एस0एंड सी0ए0सी0) हिमाचल प्रदेष विष्वविद्यालय के द्वारा पत्र संख्या 5/96–95 एच0पी0यू0/स्पोर्टस–(एजीएम)–203 दिनांक 21.10.2010 द्वारा जारी निर्देषों को ध्यान में रखते हुए की गई है परन्तु हिमाचल प्रदेष विष्वविद्यालय अधिनियम 1973 में इस प्रकार के दिषा निर्देष जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय होने के कारण 50% छूट प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई न होने को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देष सोलन महाविद्यालय के लिए लागू नहीं होते है। अतः ₹36994/– के अनियमित/अनुचित प्रकार से किए गए भुगतान के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व इसकी की वसूली उचित स्त्रोत से करके यह राषि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जाए।

¼?k½ ₹2848@&dk vufpr@vfu;fer 0;; LV'kujh d : i e ijh{kk Qkeks dks Hkjus grq djukA&

वाउचर संख्या 172/11, दिनांक 31.12.11 द्वारा ₹3000/–का भुगतान अग्रिम के रूप में श्री अष्वनी कुमार यूनिवर्स्टी क्लर्क को किया गया। यह व्यय वर्ष 2011–12 में यूनिवस्टी परीक्षा फार्मों को भरने हेतु प्रयोग में होने वाली स्टेषनरी के सामान की खरीद हेतु किया गया। अग्रिम से सम्बनिधत समायोजन वाउचर की जॉच करने पर पाया गया कि मै0 बतरा ट्रेडर सोलन के बिल सं0 204 दिनांक 14.02.2012 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की स्टेषनरी का सामान ₹2848/–में खरीदा गया जिसकी जॉच करने पर पाया गया कि खरीदे गये सामान की मात्रा अत्याधिक थी, जिसमें 50 पैक्ट पेपर पीन, 2 रिम पेपर व 60 नं0 गम टयूब भी सम्मिलित थी जिसका मूल्य ₹1000/–, ₹250/–व ₹300/– था तथा उक्त खरीदी गई समस्त सामग्री बिना स्टॉक प्रविष्टि करके सीधे उक्त कर्मचारी द्वारा प्रयोग कर दी गई दर्षाई गई। उक्त अपनाई गई प्रक्रिया भी आपत्तिजनक थी क्योकि नियमानुसार प्रयोग होने वाले सामान को भण्डार में दर्ज करके आवष्यकतानुसार जारी किया जाना अपेक्षित था। अतः अनावष्यक रूप से क्रय किए गए सामान के प्रयोग बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक प्रयोग किए गए सामान की वसूली उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राषि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जाए।

¼³½ ₹13125@&ds LVy dk Ø; fcuk vkipkfjdrkvks dks i.kZ fd;s gh fd;k tkukA&

Okkmpj l[;k 154@11 fnukd 7-12-11 ₹13125

वाउचर संख्या 154/11 दिनांक 7.12.11 के अन्तर्गत ₹13125/—का भुगतान मै0 डिकोरा इण्डस्ट्रीज चम्बाघाट को उनके बिल संख्या 239 दिनांक 25.11.2011 के एवज में 20 नं0 डोंकी स्टूल की खरीद हेतु किया गया। किये गये भुगतान की जॉच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा पत्र संख्या सी0 जी0 एस0/एस0एल0एन/2001/ 762 से 764 दिनांक 14.11.2011 द्वारा डोंकी स्टूल की खरीद किये जाने हेतु तीन फर्मों से दरें आमन्त्रित की गई जिसकी जॉच करने पर पाया गया कि पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि खरीदे जाने वाले स्टूल का क्या नामिकलेचर था। उक्त पत्र में केवल यह ही वर्णित किया गया था कि यह 28"x12"x18" साइज का तैयार होना था। इसके अतिरिक्त फर्मो द्वारा दिये गये दर निविदाओं में भी इस प्रकार का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था तथा न्यूनतम दर वाली फर्म द्वारा भी सप्लाई करते समय दिए गए बिल में भी खरीदे गए स्टूल का कोई भी नामिकलेचर नहीं दिया गया था व स्टॉक प्रविष्टि करते समय भी कोई स्पष्ट उल्लेख स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया पाया गया। इस प्रकार उक्त अपनाई गई प्रक्रिया अपने आप में ही अनियमित है। अतः उक्त पाई गई त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व स्टॉक रजिस्टर में प्रत्यक्ष सत्यापन के आधार पर स्पष्ट नामिकलेचर देकर वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए।

¼p½ ₹1040@&dk vf/kd Hkqxrku%&

okmpj l[;k 144@08] fnukd 24-2-09] ₹40000@&

उपरोक्त वर्णित वाउचर के अन्तर्गत ₹40000/—का भुगतान अग्रिम के रूप में श्री मनोज मेहता प्रवक्ता को स्पोर्टस प्राइजिज के क्रय हेतु भुगतान किया गया। श्री मनोज मेहता द्वारा प्रस्तुत समायोजन लेखों की जॉच करने पर पाया गया कि मै0 प्राईम स्पोट्रस संजौली के बिल संख्या 1885 दिनांक 28.2.2009 के अन्तर्गत 8 नं0 ट्रैक सूट (ट्राईकोट) का क्रय ₹375/—प्रत्येक ट्रेक सूट की दर से ₹3000/—में किया गया परन्तु उक्त फर्म द्वारा ट्रैक सूट की दर ₹250/—दी गई थी। अतः फर्म द्वारा दी गई दरों के आधार पर उक्त फर्म को ट्रैक सूट की खरीद हेतु ₹125/—+वैट प्रत्येक ट्रैक सूट की दर से ₹1000+₹40=₹1040 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करके अपेक्षित राषि उकत निधि में जमा करवाई जाए।

19 iqLrdky; izfrHkwfr fuf/k%&

¼d½ ₹450000@&dk vukf/kd`r :i ls Hkou fuf/k esa gLrkarfjr djuk

पुस्तकालय प्रतिभूति निधि लेखा की जांच करने पर पाया गया कि इस निधि में दिनांक 4.11.09 को ₹450000/—अनाधिकृत रूप से भवन निधि में ऋण के रूप में हस्तांतरित की गई। नियमों में इस प्रकार के

ऋण की राषि को हस्तांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं था। अतः उक्त राषि के अनाधिकृत हस्तांतरिण बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इसे तुरन्त पुस्तकालय प्रतिभूति निधि में हस्तांतरित/जमा किया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

¼[k½ ₹47360@&dk vuqfpr@vfu;fer O;;½&

okÅpj la[;k 160@11] fnukad 31-12-11 ₹39375

okÅpj la[;k 161@11] fnukad 31-12-11 ₹8085

पुस्तकालय प्रतिभूति निधि लेखों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 160/11, दिनांक 31.12.11 द्वारा ₹39375/–का भुगतान पुस्तकालय हेतु 60 आफिस कुर्सियां तथा वाउचर संख्या 161/11 दिनांक 31.12.11 द्वारा ₹8085/'का भुगतान पुस्तकालय हेतु 3 रिवालविंग/कम्पयूटर कुर्सियां क्रय करने हेतु किया गया। यह व्यय इस निधि पर वैध प्रभार नहीं था तथा नियमानुसार यह व्यय मिश्रित निधि से वहन किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त अनुचित व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमित व्यय का सक्षम प्राधिकारी से नियमितिकरण करवाकर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

¼x½ tCr iqLrdky; izfrHkwfr dk fefJr fuf/k esa gLrkarfjr u djuk½&

पुस्तकालय प्रतिभूति की राषि प्राप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों को महाविद्यालय छोड़ते समय लौटाई जानी अपेक्षित थी तथा दो वर्षों उपरान्त कालातीत होने पर इस राषि को जब्त करके मिश्रित निधि में हस्तांतरित किया जाना था परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान कोई भी कालातीत/जब्त राषि हस्तांतरित नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करके समस्त जब्त राषियों को तुरन्त मिश्रित निधि में हस्तांतरित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 jkcl ,.M jsUtl fuf/k½&

fdjk, dk :Ik esa vko';d NV iklr u djus ij ₹5000@&dh gkfu ½&

माह 12/11 में दिनांक 22.12.11 को व माह 6/11 में दिनांक 22.12.11 को डा0 केवल कृष्ण, प्रवक्ता वाणिज्य को क्रमषः ₹13000/–व ₹7000/– अर्थात कुल ₹20000/–राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय धर्मषाला में दिनांक 4.1.12 से 8.1.12 के दौरान आयोजित राज्य स्तरीय रोबर्स एण्ड रैन्जर्स समागम समारोह में महाविद्यालय के 17 छात्रों द्वारा हिस्सा लेने हेतु अग्रिम के रूप में प्रदान की गई। इस अग्रिम राषि के समायोजन वाउचर संख्या 21 व 22 में उक्त छात्रो द्वारा सोलन से धर्मषाला व वापसी की यात्रा करने पर पूर्ण बस किराए के रूप में ₹4805/–व ₹5200/–अर्थात कुल ₹10005/–व्यय की गई। उक्त समायोजन वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रो की बस यात्रा में हिमाचल प्रदेष राज्य परिवहन निगम से रियायती दरों पर छूट का लाभ प्राप्त नहीं किया गया था जबकि छात्रों द्वारा की जाने वाली बस यात्रा हेतु हिमाचल प्रदेष राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बस किराए में 50% की छूट प्रदान की जाती है। इस प्रकार उक्त रियायती छूट प्राप्त न करके निधि को लगभग ₹5000/–(₹10005 का 50%) की हानि हुई जिसकी बचत महाविद्यालय द्वारा की जा सकती थी। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व निधि को हुई ₹5000/–हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से की जाए अन्यथा उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

21 Quhpj fji;j fuf/k%&

¼d½ okÅpj l[;k 1@11] fnukd 8-12-11 }kjk ₹23800@&dk vfu;fer idkj l 0;;%&

महाविद्यालय द्वारा बिल संख्या 229 दिनांक 21.11.11 द्वारा मै0 डिकोरा इंडस्ट्रीज चम्बाघाट, सोलन को फर्नीचर की रिपेयर इत्यादि का कार्य करवाने हेतु ₹23800/–का भुगतान किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि फर्नीचर की मुरम्मत का कार्य करवाने हेतु उचित प्रक्रिया को ध्यान में नहीं रखा गया जिसके फलस्वरूप निधि से आवष्यकता से अधिक व्यय किया गया प्रतीत होता है। उक्त मुरम्मत का कार्य सौपने से पूर्व कोई भी आंकलन तैयार नहीं किए गए अपितू सीधे तौर पर ही कुटेषने लेकर कार्य करवाया गया। बाद में उक्त फर्म द्वारा मदों के आधार पर लगभग 90 मदों का अनुमोदित दरों पर बिल तैयार किया गया जिसका उक्त फर्म को भुगतान प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त फर्म द्वारा एक मद डेंटिंग वेल्डिंग एण्ड अदर रिपेयर ऑफ स्टील डेस्क ₹350/–प्रति नग दिया था जबकि अन्य दो फर्मों द्वारा इसका रेट अपनी कुटेषनों में अंकित नहीं किया गया था तथा अन्य मदों में षेष दो फमों क रेट अधिक होने के फलस्वरूप मुरम्मत का कार्य मै0 डिकोरा इंडस्ट्रीज को सौंपा गया जिसके रेट उक्त मद को छोड़कर सबसे कम थे। बाद में फर्म द्वारा उक्त मद के 40 नगों की मुरम्मत की गई जिस पर कुल ₹14000/–(₹350x₹40) व्यय हुई। अतः

अनुचित प्रकार से किए गए अत्याधिक व्यय ₹23800/–के बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए व उक्त अनियमतता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अथवा समस्त किए गए कार्य का आंकलन करते हुए अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

¼[k½ okÅpj l[;k 2@09] fnukd 12-11-09 3@09 fnukd 12-11-09] 4@09 fnukd 12-11-09 o 5@09 fnukd 13-11-09 }kjk Øe'k% ₹2360] ₹2360] ₹2360 o ₹2360 vFkkr dy ₹9440@&dk vfu;fer idkj l 0;; djuk%&

महाविद्यालय द्वारा उकत वाचउरों द्वारा फर्नीचर की मुरम्मत करवाने हेतु चार कारपेन्टरों को 80 दिनों के ₹118 प्रति दिन की दर से कार्य करवाने हेतु कुल ₹9440/–का भुगतान किया गया। मस्ट्रोल की जांच करने पर पाया गया कि मुरम्मत का कार्य करवाने से पूर्व इसका कोई भी आंकलन तैयार नहीं किया गया था। इसके पष्चात कार्य पूर्ण होने पर भी इसके सन्तोषजनक पाए जाने की भी कोई निरीक्षण रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गई थी। अतः कार्य को आवष्यक औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही करवाने बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्ततु करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 ₹129496@&d lkeku dh LVkd ifof"V;k LVkd jftLVj e u ikb tkuk%&

छात्र निधि से समय–2 पर किये गये व्यय की जॉच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹146294/–का सामान खरीदा गया परन्तु स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गये सामान की स्टॉक प्रविष्टियॉ में न करके उक्त भुगतान कर दिया गया। अतः ₹146294/–की स्टॉक प्रविष्टियों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा महाविद्यालय के स्टॉक रजिस्टर में आवष्यक प्रविष्टियॉ सामान के प्रयोग सहित दर्षाई जाए अन्यथा ₹146294 की वसूली उचित स्त्रोत से करके यह राषि सम्बनिधत निधियों में जमा करवाई जाए।

fefJr fuf/k%&

Ø0l0	Qe dk uke o fcy l0	Ø; fd; lkeku dk fooj.k	eY;
1	मै0 वैभव कलैकषन दि माल सोलन बिल संख्या 1969 दिनांक 20.12.06	53 मी0 पर्दे	4640
2	मै0 आर0के0 ट्रैडर्ज दि माल सोलन बिल	20 कि0 ग्रा0 डिस्टेम्पर व अन्य	2804

	सं0 3855 दिनांक 25.11.06	सामान	
3	मै0 हिमाचल फर्नीचर दि माल सोलन बिल नं0 3290 दिनांक 11.12.06	2 स्टील अलमारी 20 ऑफिस चेयर	28496
4	मै0 बतरा ट्रेडर्ज, राजगढ़ रोड़ सोलन बिल सं0 831, दिनांक 3.11.07	लेखन सामग्री	522
5	मै0 दि लिजेड प्रिटर्ज एण्ड एडवरटाईजर्स दि माल सोलन बिल सं0 504 दिनांक 3.12.07, 501 दिनांक 3.12.07, 502 दिनांक 3.12.07, 503 दिनांक 3.12.07 व 505 दिनांक 3.12.07 क्रमषः ₹915+₹1583+₹1845+₹1517+₹1047 कुल राषि ₹6907	गृह परीक्षा हेतु प्रष्न पत्रों का मुद्रण	6907
6	मै0 जालन्धर स्पोर्टस लक्कड़ बाजार सोलन बिल सं0 97 दिनांक 10.11.09	90 स्मृति चिन्ह की खरीद	17680
7	मै0 षिवम कोहली, टैंक रोड़ सोलन बिल संख्या 1672 दिनांक व 1679 दिनांक षून्य क्रमषः ₹1583+₹1726 कुल राषि ₹3309	बिजली का सामान की खरीद	3309
8	मै0 बी0एस0 ट्रेडर्ज कोटलानाला सोलन, बिल सं. 433 दिनांक 27.11.09	वाटर एण्ड सेनिअरी कार्य हेतु सामान की खरीद	2424
9	मै0 गोयल ब्रदस्र गंज बाजार सोलन बिल सं0 5435 दिनांक 25.11.2010	रंग रोगन की खरीद	2857
10	मै0 बतरा ट्रेडर्ज, राजगढ़ रोड़ सोलन बिल सं0 017, दिनांक 26.11.10	3 पेपर रिम (ए–4 साईज)	410
11	–यथोपरि– बिल सं0 157, दिनांक 29.10.11	12पेपर रिम (ए–4 साईज)	1764
	पुस्तकालय निधि		
12	मै0 डिकोष इंडस्ट्रीज चम्बाघाट सोलन बिल सं0 247, दिनांक 10.12.11	60 ऑफिस चेयर	39375
13	–यथोपरि– बिल सं0 250, दिनांक 16.12.11	1 रिवालविंग चेयर 2 कम्पयूटर चेयर	8085

	कम्पयूटर निधि		
14	वाउचर संख्या 6/09 दिनांक 19.11.09		780
15	वाउचर संख्या 7/09 दिनांक 19.11.09		780
	विज्ञान निधि		
16	डिकोरा इंडस्ट्रीज चम्बाघाट सोलन बिल सं0 208, दिनांक 23.11.10	2 स्टील अलमारी	8663
			₹129496

23 jlhnk }kjk ikIr jkf'k;k rFkk cd@ljdkjh dk"k e tek jkf'k;k l lEcfU/kr vfu;ferrkvk d ckj e&

¼d½ ₹23694@&dk i.kr%@vkf'kd :Ik l de y[kkfdr djuk%&

छात्र निधियों की प्राप्ति की अंकेक्षण द्वारा चयनित मासों में जांच करने पर पाया गया कि प्राप्त की गई राषियों को निधि उगाही रजिस्टर/रोकड़ वहियों में पूर्णतः/आंषिक रूप से कम लेखांकित किया गया है, परिणामस्वरूप निम्नविवरणानुसार ₹23694/–को कम लेखांकित किया गया है। रोकड़ वहियों में एकत्रित राषियों को कम लेखांकित करना अपने आप में एक गम्भीर मामला है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित कर्मचारी से ₹23694/–की वसूली करके यह राषि सम्बन्धित निधि मे ंजमा करवाई जाए। यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में भी आवष्यक कार्रवाई हेतु विषेष रूप से लाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य मासों में प्राप्त राषियों के सम्बन्ध में यह भी सुनिष्चित किया जाए कि समस्त प्राप्तियों को रोकड़ वहियों में लेखाबद्ध कर लिया गया है।

Nk= dk d{kk jky u0	jlhn	u0 fuf/k@'kYd	ikIr	Yk[kk	de y[kk	

uke		fnukad	dk uke	jkf'k	c) jkf'k	c) jkf'k
ईषान	बी0ए0–I/1853	18682 / 9.8.07	टयूषन फीस	300	–	300
मनजीत ठाकुर	बी0ए0–I/5609	22524 / 21.6.08	टयूषन फीस	300	–	300
दिनेश चौहान	बी0कॉम–I/3343	22395 / 25.6.08	षारीरिक षिक्षा फीस	50	–	50
नितिन चौहान	बी0कॉम–I/3355	22700 / 28.6.08	माईग्रेषन फीस	50	–	50
अश्वनी	बी0कॉम–I/3509	25 / 12.6.09	समस्त फीस / निधियां	863	–	863
मृदुल ठाकुर	बी0कॉम–I/3515	44 / 13.6.09	–यथोपरि–	863	–	863
रंजना डिलटा	बी0एस0ई0–I/5257(एनएस)	176/16.6.09	–यथोपरि–	719	–	719
रंजना वर्मा	बी0काम0–I/3585	121/17.6.09	–यथोपरि–	563	–	563
दीपिका षांडिल	बी0एस0ई0–II(एम)/5007	232/17.6.09	–यथोपरि–	797	–	797
इन्दु नेगी	बी0ए0–II/1541	380/19.6.09	–यथोपरि–	443	–	443
रीता ठाकुर	बी0ए0–II/1570	562/23.6.09	–यथोपरि–	763	–	763
वन्दना	बी0ए0–II/1580	596/23.6.09	–यथोपरि–	623	–	623
अम्बिका	बी0ए0–II/1591	648/23.6.09	–यथोपरि–	463	–	463
सुषमा	बी0ए0–II/1594	653/23.6.09	–यथोपरि–	823	–	823
आरती चौहान	बी0ए0–III/2558	720/24.6.09	–यथोपरि–	763	–	763
रवि	बी0ए0–I/326	1016/26.6.09	–यथोपरि–	943	–	943
रक्षा	बी0ए0–I/341	1056/26.6.09	–यथोपरि–	1243	–	1243
अभिषेक	बी0ए0–I/441	1345/29.6.09	–यथोपरि–	943	–	943

दीपिका षर्मा	बी0एस0सी0–I(एम)/5524	1454/29.6.09	–यथोपरि–	697	–	697
धिरती	बी0ए0–III/2685	1594/30.6.09	–यथोपरि–	763	–	763
सुरेन्द्र कष्यप	बी0काम0–III/4542	1832/30.6.09	–यथोपरि–	1163	–	1163
निखिलेष भंडरी	बी0ए0–I/10038	8511/15.6.10	–	1288	1238	50
रितुका चौहान	बी0ए0–I/10087	8637/17.6.10	–	758	748	10
रजनेश चौहान	बी0ए0–I/10090	8656/17.6.10	टयूषन फीस	300	–	300
मनोज ठाकुर	बी0काम0–I/13109	8692/17.6.10	समस्त निधियां	1048	–	1048
सपना	बी0काम0–II/13508	8738/18.6.10	–यथोपरि–	578	–	578
लीला दत्त	बी0काम0–I/13121	8741/18.6.10	टयूषन फीस	300	–	300
सरोज चौहान	बी0ए0–I/10171	8890/18.6.10	समस्त निधियां	938	–	938
गौरव षर्मा	बी0काम0–I/13173	8913/18.6.10	–यथोपरि–	998	–	998
धर्मेन्द्र गुप्ता	बी0एस0सी0–II (एम)/	19732/18.6.11	–यथोपरि–	921	–	921
अर्चना	बी0ए0–III/	20422/20.6.11	–यथोपरि–	861	–	861
लता देवी	बी0ए0–I/	20448/20.6.11	–यथोपरि–	1071	–	1071
निर्मला देवी	बी0काम0–I/	9579/25.6.10	–यथोपरि–	708	–	708
छाया देवी	बी0काम0–I/	9581/25.6.10	–यथोपरि–	708	–	708
समता	बी0एससी0–II/	10152/30.6.10	–यथोपरि–	1068	–	1068
					;kx	₹23694

¼[k½ ₹11343@&dk vfu;fer :Ik ls de y[kkfdr djuk½&

अंकेक्षणाधीन अवधि में छात्रों से प्राप्त निधि राषियों की जांच करने पर पाया गया कि कि रसीद बुकों की कार्बन प्रतियों में बॉल पेन से कटिंग की गई पाई गई तथा कार्बन प्रति/कार्यालय प्रति में बॉल पेन से अनियमित प्रकार से राषियों को संषोधित करके एकत्रित/प्राप्त राषि को कम करके दर्षाया गया। उक्त पाई गई त्रुटि से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह कटिंग किस स्तर पर की गई है। यह भी सम्भव है कि मूल रसीद को जारी कर दिये जाने के पष्चात कटिंग करके प्राप्ति को कम करके दर्षाया गया हो। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि की गई कटिंग को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित भी नहीं करवाया गया है। इस प्रकार के पाए गए प्रकरण निम्न प्रकार से वर्णित है। अतः प्राप्ति राषि को कटिंग करके कम किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा कम लेखांकित की गई ₹11343/–की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जाए।

fo|kFkhZ dk uke	d{kk@jk0uk0	jlhn la0@jk0uk0	Nk= ls olwyh xbZ jkf'k	dkcZu izfr esa dfVax mijkUr n'kkZb xbZ jkf'k	mxkgh jftLVj esa vfu;fer :Ik ls de y[kkfdr jkf'k
मनीष	बी0ए0–III/7735	0007608 12.7.06	818	718	100
अश्वनी कुमार	बी0ए0–III/7734	0007609 12.7.06	818	718	100
तलमाया गुरंग	बी0काम0–II/516	0007637 12.7.06	818	718	100
ष्वेता	बी0ए0–I/5269	0007860 17.7.06	838	538	300
सुनील कुमार	बी0ए0–III/7793	0007921 18.7.06	878	778	100
संदीप कुमार	बी0काम0–II/8848	18060 20.7.07	818	718	100
कुलविंदर	बी0एस0सी0–II(एम)/6285	18090 6.8.07	952	874	78
सुमित	बी0ए0–II/2957	18208	778	758	20

		6.8.07			
राकेश कुमार	बी0ए0–II/2975	18341 7.8.07	858	758	100
विलम सिंह	बी0ए0–I/1847	18625 9.8.07	858	758	100
विजय कुमार	बी0ए0–II/3049	18651 9.8.07	718	698	20
नीलम	बी0ए0–III/3579	18666 9.8.07	798	698	100
चन्द्रषेखर	बी0काम0–II/8864	18704 9.8.07	818	718	100
पूनम	बी0ए0–III/3614	18775 10.8.07	458	398	60
संदीप	बी0ए0–III/4063	18851 11.8.07	758	698	60
नितिन	बी0ए0–II/3647	18867 11.8.07	758	458	300
संजीव कुमार	बी0ए0–II/4019	18962 11.8.07	758	698	60
कौषल्या	बी0ए0–III/3676	18998 11.8.07	698	398	300
राजिन्द्र	बी0ए0–II/1872	19001 11.8.07	858	758	100
ललिता	बी0ए0–I/1334	19018 11.8.07	698	398	300
षुभश्रुति	बी0ए0–I/5020	27168 14.6.08	628	578	50
सपना	बी0ए0–I/5033	27193 16.6.08	773	638	135
कनिका	बी0ए0–III/7012	27218 17.6.08	698	548	150
दिपेश	बी0ए0–I/5543	22189 20.6.08	838	818	20
उमेश कुमार	बी0ए0–I/5545	27325 20.6.08	898	878	20

पुनीत	बी0ए0–II/6523	27454 21.6.08	758	608	150
रोहित	बी0काम0–II/3758	27557 24.6.08	718	568	150
प्रीती	बी0ए0–II/6151	22837 28.6.08	478	418	60
रिचा	बी0ए0–II/6648	23389 30.6.08	628	568	60
ललिता	बी0एस0सी0–II (एनएम)/1512	22609 26.6.08	874	574	300
शिखा देवी	–यथोपरि–/1515	22675 27.6.08	874	574	300
राहुल	बी0काम0–I/3373	23205 30.6.08	888	838	50
नविता	बी0ए0–II/6045	1123 24.6.08 (छात्रावास षुल्क)	6035	4035	2000
संदीप	बी0ए0–III/7600	1141 30.6.08 (छात्रावास षुल्क)	6035	4035	2000
प्रियंका	बी0काम0–II/13565	220 30.6.10 (छात्रावास षुल्क)	6035	4035	2000
त्रिपता	बी0ए0–II/11775	229 1.7.10 (छात्रावास षुल्क)	6035	4635	1400
				tkM+	₹11343

¼x½ efnr jlhnk d LFkku ij vukf/kdr :Ik l dEi;Vj }kjk jlhn tkjh djuk%&

विभिन्न निधियों की प्राप्तियों की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय से वर्ष 2009–2010 के पष्चात फीस एवं छात्र निधियों की प्राप्ति मुद्रित रसीदों की जगह सीधे कम्पयूटर द्वारा रसीद जारी करके की गई है। प्रक्रियानुसार/नियमानुसार मुद्रित रसीदों को जारी करने से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है जबकि कम्पयूटरीकृत रसीदों के मामले में जारी की गई रसीदों को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत/सत्यापित नहीं किया गया था क्योंकि उपरोक्त अपनाई गई प्रक्रियानुसार यह सम्भव ही नहीं था। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कम्पयूटरीकृत रसीदों को अधिकृत नहीं माना जा सकता क्योंकि इन्हें सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अपने स्तर पर ही जारी किया गया। यहां यह भी कहना उचित होगा कि इस प्रक्रिया/प्रोग्राम को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। महाविद्यालय द्वारा निधियों की प्राप्ति हेतु अपनाई गई प्रक्रिया/प्रोग्राम का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से न करवाया जाना तथा नई प्रक्रिया को अपने स्तर पर ही लागू कर दिया जाना अनियमित ही नहीं आपत्तिजनक भी है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवष्यक उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

¼?k½ dEi;Vj }kjk tkjh jlhnk d db uEcj vfHkys[k e u ik;k x;k tkuk%&

कम्पयूटर द्वारा जारी रसीदों के माध्यम से विभिन्न छात्र निधियों की प्राप्ति की जांच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा जारी की गई रसीदों क्रमवार पूर्ण नहीं की गई थी। प्राप्ति रसीदों के अनेक नम्बर अभिलेख में पाए ही नहीं गए जिस कारण यह स्पष्ट नहीं होता कि इन नम्बरों के अन्तर्गत छात्र निधियों की राषि प्राप्त की गई है अथवा नहीं। यद्यपि इस प्रकार के मामलों में प्राचार्य द्वारा यह सत्यापित किया गया है कि कम्पयूटर प्रोग्राम में खराबी के चलते इन रसीदों को कम्पयूटर द्वारा जारी नहीं किए गए थे परन्तु फिर भी इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को पूर्णतया मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इन रसीदों को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अपने स्तर पर ही जारी किया जा रहा था। चयनित मासों में पाए गए इस प्रकार की अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरणों का विवरण निम्न वर्णित है। अतः उकत पाई गई गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए। यह मामला उचित छानबीन एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में विषेष रूप में लाया जाता है।

Ø0 l0	jlhn l0	fnukd ftll jlhn lEcfU/kr g

1	30	12.6.09
2	74	15.6.09
3	76	15.6.09
4	79	15.6.09
5	129	15.′6.09
6	157	15.6.09
7	253	18.6.09
8	258	18.6.09
9	261	18.6.09
10	274	18.6.09
11	374	19.6.09
12	463	20.6.09
13	484	20.6.09
14	678	23.6.09
15	689	23.6.09
16	796	24.6.09
17	772	24.6.09
18	1006	26.6.09
19	1084	26.6.09
20	1090	26.6.09
21	1102	26.6.09
22	1115	27.6.09
23	1484	30.6.09
24	1540	30.6.09
25	1837	30.6.09
26	1685	30.6.09
27	1799	30.6.09
28	1802	30.6.09
29	1829	30.6.09
30	1837	30.6.09

31	1894	30.6.09
32	1903	30.6.09
33	1930	2.7.09
34	1941	7.7.09
35	2095	9.7.09
36	17985	7.6.11
37	18172	9.6.11
38	19090	14.6.11
39	19202	16.6.11
40	8914	18.6.10
41	8917	19.6.10
42	19411	17.6.11
43	19468	17.6.11
44	20378	20.6.11
45	21242	25.7.11
46	21243	25.7.11
47	21244	25.7.11
48	21251	25.7.11
49	21252	25.7.11
50	21255	25.7.11
51	21256	25.7.11
52	21286	29.7.11
53	21287	29.7.11
54	21288	29.7.11
55	9005	21.6.10
56	9016	21.6.10
57	9021	21.6.10
58	9033	21.6.10
59	9140	21.6.10
60	9342	23.6.10

61	9616	29.6.10
62	9702	29.6.10
63	9818	29.6.10
64	10210	30.6.10

¼³½jlhn LVkd jftLVj dk iLrqr u djus ckjs%&

महाविद्यालय द्वारा छात्रो से षुल्क इत्यादि एकत्रित करने हेतु प्रयोग में लाई जा रही रसीद बुकों के रजिस्टर को अंकेक्षण में अपेक्षित जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्थान द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त स्टॉक रजिस्टर तैयार ही नहीं किया गया है। यह एक गम्भीर त्रुटि है जिसके अभाव में रसीद बुकों के प्रारम्भिक षेष, उपयोग की गई रसीदें तथा अन्तिम षेष को सत्यापित नहीं किया जा सका। इस प्रकार की अनियमितता में रसीद बुकों के दुरूपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब तक उपयोग की गई व षेष पड़ी रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर तैयार करके इसे सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼p½ ₹17175@&dh jkf'k ds v/kjs pkyku ckjs%&

महाविद्यालय द्वारा दिनांक 25.6.2010 को ₹17175/–छात्रों से प्रवेष षुल्क, विलम्ब षुल्क तथा षैक्षणिक षुल्क के एवज में एकत्रित की गई। इस राषि को चालान संख्या 79, दिनांक 29.6.2010 के माध्यम से कोष कार्यालय में जमा करवाया गया। चालान के अवलोकन करने पर पाया गया कि इसमें स्टेट बैंक आफॅ पटियाला द्वारा कोष कार्यालय की ओर से प्राप्त राषि पर स्टैम्प अंकित नहीं थी। इससे यह सुनिष्चित नहीं हो सका कि वास्तव में उक्त राषि कोष कार्यालय में जमा हुई भी है अथवा नहीं। अतः जमा करवाई गई राषि की आवष्यक पुष्टि सम्बन्धित बैंक/सरकारी कोष से प्रमाण–पत्र प्राप्त करके करवाई जाए अन्यथा ₹17175/–की वसूली उचित स्त्रोत से करके यह राषि सरकारी कोष में जमा करवाई जाए।

¼N½ ₹4890@&de tek djus ckjs%&

महाविद्यालय द्वारा माह जून, 2010 में छात्रों से विभिन्न निधियों के एवज में ₹1580806/–एकत्रित की गई परन्तु उगाही रजिस्टर/रोकड़ वहियों मे केवल ₹1575916/–ही लेखाकिंत/जमा की गई। इस प्रकार ₹4890/–अनियमित रूप से कम लेखांकित/जमा की गई जिसका तिथिवार विवरण नीचे दिया गया

है। अतः कम जमा करवाई गई ₹4890/—की सम्बन्धित से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

fnukad	dEi;wVhd`r jlhnksa ls ,df=r jkf'k	mxkgh jftLVj@jksdM+ ofg;k esa ys[kkfdr jkf'k
11.6.10	10916	10916
12.6.10	47070	6056
14.6.10	7612	39766
15.6.10	49820	55366
16.6.10	52408	52398
17.6.10	110954	110964
18.6.10	163904	162328
19.6.10	37728	37728
21.6.10	209018	209018
22.6.10	88148	88148
23.6.10	62708	62708
24.6.10	81112	81112
25.6.10	90190	90190
29.6.10	219350	219350
30.6.10	349868	349868
	₹1580806	₹1575916

कम जमा राषि=₹1580806—₹1575916=₹4890/—

¼t½ pkyku ls tek Qhl dk dks"k dk;kZy; ls feyku u djuk&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रों से प्राप्त प्रवेष शुल्क, पुनः प्रवेष शुल्क, विलम्ब षुल्क, षैक्षणिक षुत्क तथा छात्रावास षुल्क चालानों के माध्यम से जमा करवाये गये परन्तु इस राषि का

जिला कोष कार्यालय से मिलान नहीं किया गया जो कि लेखांकन प्रक्रिया की त्रुटि को दर्षाता तथा इससे किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकार की जमा राषियो का मिलान जिला कोष कार्यालय से करवाकर उक्त त्रुटि को सुधारा जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

¼>½ Nk= fuf/k;k dk vyx oxhZd`r y[kk r;kj u djuk&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रो से एकत्रित निम्न निधियों का वर्गीकृत लेखा तैयार न करके सीधे मिश्रित निधि में जमा कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक निधि की समय–2 पर स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती। अतः उक्त पाई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं प्रत्येक निधि का वर्गीकृत लेखा स्वतः स्पष्ट रूप से तैयार किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	fuf/k dk uke
1	संगीत निधि
2	कला निधि
3	भूगोल निधि
4	मनोविज्ञान निधि
5	दण्ड षुल्क निधि

24 jkdM+ ofg;k dk y[kkdu fu;ekuql kj u djuk&

छात्र निधि रोकड़ वहियों की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ वहियों का लेखांकन उचित प्रकार से नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ वहियों में की गई आय–व्यय की प्रविष्टियॉ बैंक पास बुकों के आधार पर की जा रही थी तथा रोकड़ वही का मिलान पास बुक के साथ करने पर आगामी मास में पास बुक का षेष रोकड़ वही का प्रारम्भिक षेष माना जा रहा था जोकि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। अतः अनेक स्थानों पर रोकड़ वहियों के प्रारम्भिक षेष बैंक पास बुकों के आधार पर दर्षाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उक्त पाई गई त्रुटि के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार की गम्म्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में रोकड़ वहियों का लेखांकन नियमानुसार करते हुए समय–2 पर पाए गए अन्तषेष/प्रारम्भिक षेष को न भी वास्तविक प्रविष्टियों के आधार पर किया जाए तथा प्रत्येंक माह के अन्त में बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाए जिसके समाधान हेतु यथास्थिति को ध्यान में रखते हुए आवष्यक कार्रवाई/समायोजन अमल में लाई जाए।

इसके अतिरिक्त छात्र निधि लेखों की जॉच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र निधि की रोकड़ वही व बचत खाता पृथक–2 तैयार/खोला गया है जिसमें अनावष्क रूप से कार्य को बढ़ाया गया है तथा समस्त निधियों की एक ही स्थान पर स्थिति स्वतः स्पष्ट भी नहीं होती है। अतः इस प्रकरण में संस्था स्त्तर पर आवष्यक जॉच करके समस्त छात्र निधियों को एक ही रोकड़ वही में निधिवार वर्गीकृत कालम तैयार करके तथा कुल योग दर्षाकर लेखांकित किया जाए व समस्त निधियों को बचत खाता/सावधि खाता भी मिश्रित रूप में रखा जाए।

25 Nk=k s mudk s tkjh iqLrdky; l s iqLrdk s dk s foyEc l s ykSVku s ij n.M 'kqYd dh olwyh u djuk%&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा समय–2 पर छात्रो ंको पुस्तकालय से जारी पुस्तकों को विलम्ब से लौटाने पर उनसे कोई भी दण्ड षुल्कों नहीं वसूला जा रहा है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि महाविद्यालय द्वारा इस प्रकार की पुस्तके जारी करने एवं पुस्तकों को वापिस प्राप्त करने का कोई भी रजिस्टर/अभिलेख तैयार नहीं किया गया है तथा न ही आज तक छात्रों से विलम्ब से पुस्तकों को लौटाने के एवज में विलम्ब षुल्क ही वसूला गया है जोकि अनियमित है जिसका तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को भी उचित प्रकार से तैयार करके दण्ड षुल्क की वसूली करनी सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

26 LVkWd jftLVjk s d s j[k&j[kko d s ckj s e s%&

¼d½ LVkWd jftLVjk s dk s mfpr izdkj l s rS;kj u djuk%&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्र निधियों में खेल निधि व पुस्तकालय निधि को छोड़ कर अन्य निधियो ंसे क्रय किये गये सामान की जनरल स्टॉक रजिस्टर में तिथिवार प्रविष्टियॉ की जा रही है तथा उसी स्थान पर "जारी कर दिया गया" अंकित करके स्टॉक को खारिज किया जा रहा है जो कि लेखांकन प्रक्रिया के हिसाब से अनुचित है। नियमानुसार उक्त जनरल स्टॉक रजिस्टर के अतिरिक्त मदवार स्टॉक रजिस्टर तैयार किए जाने अपेक्षित है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि स्टॉक रजिस्टरों को नियमानुसार तैयार किया जाए तथा इन स्टॉक रजिस्टर में मदवार क्रय किए सामान की प्राप्ति की प्रविष्टियॉ की जाएं तथा जिसमें से सामान जारी करके प्राप्तकर्ता में हस्ताक्षर लिए जाए तथा षेष पड़े स्टॉक को भी नियमानुसार दर्षाया जाना सुनिष्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि सामान की अधिक मदें एक साथ जारी

की गई है तब ऐसी परिस्थिति में वितरण विवरणियां तैयार की जाएं जिन्हें सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर ही स्टॉक रजिस्टरों में जारी करने की प्रविष्टि करके स्टॉक की खारिज किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼[k½ ljdkjh o fofHkUu fuf/k;k ls Ø; dh xbZ enk dk ,d gh LVkWd jftLVj esa j[kukA&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा सरकारी खाते व विभिन्न निधियों से समय–2 पर क्रय की गई विभिन्न मदो का एक ही स्टॉक रजिस्टर तैयार किया गया है जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। इस प्रकार से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्रय की गई कितनी मदें सरकारी खाते से सम्बन्धित है और कितनी विभिन्न निधियों से सम्बन्धित है। अतः उपरोक्त दोनों खातों की मदों का पृथक –2 स्टॉक रजिस्टर तैयार करके तथा उक्त पाई गई त्रुटि को दूर करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

¼x½ foKku fuf/k ds LVkWd jftLVj dk mfpr izdkj ls r;kj u djukA&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विज्ञान निधि से प्रैक्टिकल कक्षाओं हेतु विभिन्न कैमिकल्स व अन्य सामान का क्रय किया गया। क्रय किए गए सामान की खरीद रजिस्टर में दिनांकवार प्रविष्टियॉ करके स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया है परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि क्रय की गई मदो को क्रमवार दर्ज नहीं किया गया है तथा उपयोग में लाए गए सामान की विवरणियां/सूचिया भी तैयार नहीं की गई है। स्टॉक रजिस्टर में केवल मात्र "सामान उपयोग कर लिया गया" अंकित करके स्टॉक को खारिज कर दिया गया है जो कि अनुचित है। उक्त पाई गई त्रुटि का तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए व छात्रों द्वारा प्रेक्टिीकल कक्षाओं में उपयोग किए गए कैमिकल्स व अन्य सामान की दैनिक आधार पर उपयोग सूचियां तैयार करके स्टॉक को खारिज करना सुनिष्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼?k½ xg ijh{kk fuf/k ds LVkWd jftLVj dk mfpr izdkj ls r;kj u djukA&

महाविद्यालय द्वारा छात्रों की गृह परीक्षा हेतु समय–2 पर उत्तर पुस्तिकाओं व अन्य लेखन सामग्री का क्रय किया गया। जॉच के दौरान पाया गया कि क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को "सीधे तौर पर जारी कर दिया गया" अंकित करके खारिज किया जा रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं से सम्बन्धित गृह परीक्षाओं में छात्रों को तिथिवार जारी करने की विवरणिका तैयार नहीं की जा रही है जिनके अभाव में इनको स्टॉक रजिस्टर से उक्त प्रक्रियानुसार खारिज करना अनुचित है। अतः उक्त पाई गई त्रुटि बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तथा गुह परीक्षा निधि के स्टॉक रजिस्टर को उचित प्रकार से तैयार किया जाए व जारी की गई उत्तर पुस्तिकाओं की अपेक्षित विवरणिका तैयार करके स्टॉक को तदानुसार खारिज करना सुनिष्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

27 <u>y?kq vkifÙk foojf.kdk</u> ¼& लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई हैं।

28 <u>fu"d"kZ</u> ¼& लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)सी(15)(11)(15)33/78–खण्ड–6 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

i:thd'r 1. प्रधानाचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को षीघ्र भेजें ।

2. निदेषक, षिक्षा विभाग, हि0प्र0 षिमला–171001.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.